

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, केम्प इन्दौर

अंक 4030/113

निगरानी प्रकरण क्रमांक :

दिनांक : 29/10/2013

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय
राजस्व मण्डल म.प्र.
ग्वालियर
दिनांक 29-10-13
अंक 4030/113

मे. आशीर्वाद बोर्डिंग हाऊस
पॉवर ऑफ अटार्नी होल्डर प्रकाश नांदेड़कर
कार्यालय पता 5-ए, प्रेस कॉम्प्लेक्स
ए.बी. रोड इन्दौर (म.प्र.)

..... प्रार्थी

विरुद्ध

सुरेश सेठ पिता किशनलाल सेठ
चेयरमैन, इन्दौर समाचार, ए.पी.पी.प्रा.लि.
निवासी : 17, न्यू देवास रोड इन्दौर (म.प्र.)

2. म. प्र. शासन जिला कलेक्टर
इन्दौर

..... प्रतिप्रार्थीगण

11-11-13


निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 56 भारतीय दण्डविनियम 1899

प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :-

यह कि, प्रार्थी का श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प जिला इन्दौर द्वारा निगरानी में लिया गया प्रकरण क्रमांक 71/बी-103/12-13/33 में पारित आदेश दिनांक 25/09/2013 के विरुद्ध की जा रही है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक को न सुनते हुए प्रतिप्रार्थी क्र. 1 के पक्ष में निर्णय दिया गया है।

18-6-2014

3 - -
अपीलायी की ओर से सूचना उपरोक्त
कोर्ड भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार
लगावाई गई, फिर भी कोर्ड उपस्थित
नहीं। अतः प्रकरण अउम वैरवी से
निरस्त किया जाता है।


अध्यक्ष